संख्या-69/001/235 डब्लू-25-27-3099-225-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025

विषयः अनुबंध संख्या-05/एस0ई0/2013-14 श्री प्रदीप त्यागी, ठेकेदार के अवशेषभुगतान धनराशि रूपये 10,75,500.00 का, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारापारित आदेश दिनांक 02.09.2025 की अनुपालना करने हेतु धनावंटन के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-773/मु०अ० (अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारितमद/पूर्वीगंगा, दिनांक 27.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्टकरें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद से संबंधित अनुबंध संख्या-05/एस0ई0/2013-14 मेंश्री प्रदीप त्यागी, ठेकेदार के अवशेष भुगतान हेतु रिट याचिका (सी)संख्या-29153/2025 श्री प्रदीप त्यागी बनाम उ०प्र० सरकार व 04 अन्य में मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2025 के अनुपालनहेतु धनराशि रूपये 10,75,500.00 (दस लाख, पचहत्तर हजार, पांच सौ मात्र) कोप्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसारभुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अतःसिंचाई खण्ड, मुरादाबाद से संबंधित अनुबंध संख्या-05/एस0ई0/2013-14 मेंश्री प्रदीप त्यागी, ठेकेदार के अवशेष भुगतान हेतु रिट याचिका (सी)संख्या-29153/2025 श्री प्रदीप त्यागी बनाम उ0प्र0 सरकार व 04 अन्य में मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2025 के अनुपालनहेतु धनराशि रूपये 10,75,500.00 (दस लाख, पचहत्तर हजार, पांच सौ मात्र) कीवित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदानकरती हैं।

3- इस सम्बन्धमें मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने सेपूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी।गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप सेउत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इससम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 10,75,500.00 (दस लाख, पचहत्तर हजार, पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदानसंख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, वरेली।
(6) मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद।
(7) अनु मचिव (लेखा) / आहरण बितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोपाधिकारी, मुरादाबाद।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।